बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक 3-12-18

संख्या–21 / त.क.च.आ.-01 / 2018,सा.प्र. 15672 बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-14(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015 के नियम-3 के उप नियम (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाना ।**– उक्त नियमावली में, नियम-3 के उप नियम-(3) में परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा।–

"परन्तु, यह भी कि वेतन-पुनरीक्षण की स्थिति में आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी का वेतन-पुनरीक्षण भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवारत पदाधिकारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मूल वेतन के आधार पर किया जा सकेगा और उसमें से पुनरीक्षित पेंशन (Commutation सहित) घटाने के बाद शेष राशि, वेतन के रूप में अनुमान्य किया जा सकेगा। "

3. **बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015 के नियम-4 के उप नियम (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाना ।**– उक्त नियमावली में, नियम-4 के उप नियम-(3) में परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा।–

" परन्तु, यह भी कि वेतन-पुनरीक्षण की स्थिति में आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी का वेतन-पुनरीक्षण राज्य के सेवारत पदाधिकारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मूल वेतन के आधार पर किया जा सकेगा और उसमें से पुनरीक्षित पेंशन (Commutation सहित) घटाने के बाद शेष राशि, वेतन के रूप में अनुमान्य किया जा सकेगा। "

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
3.12.18
(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:–21 / त.क.च.आ.-01 / 2018,सा0प्र0 15672 / पटना–15, दिनांक– ~~3.12~~ 3-12-18

प्रतिलिपि:– वित्त विभाग ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

3.12.18
सरकार के संयुक्त सचिव।

P.T.O

Section -21 adhi -273

ज्ञापांकः–21 / त.क.च.आ.-01 / 2018,सा.प्र. 15672 / पटना–15, दिनांक– 3-12-18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.18

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21 / त.क.च.आ.-01 / 2018 ,सा.प्र. 15672 / पटना–15, दिनांक– 3-12-18

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.18

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21 / त.क.च.आ.-01 / 2018,सा0प्र0 15672 / पटना–15, दिनांक– 3-12-18

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.18

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या–21/त॰क॰च॰आ॰-01/2018,सा॰प्र॰15673 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या/15672 दिनांक 3.12.18 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

NOTIFICATION

Patna, Dated 3.12.18............

No.-21/B..T.S.S.C-01 /2018 Ka-15673 In exercise of the powers conferred by Section-14(1) of the Bihar Technical Service Commission Act ,2014 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Technical Service Commission Rules , 2015

1. **Short title, Extent and Commencement** I- (1) These Rules may be called The Bihar Technical Service Commission (Amendement) Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Insertion of a proviso in sub rule-3 of rule-3 of the Bihar Technical Service Commission Rules, 2015** I- In the said Rules, the following proviso shall be inserted after proviso in sub rule-(3) of rule 3 :-

" Provided also that, in condition of pay revision, the pay- revision of retired officer appointed as Chairman in the Commission, shall be executed like working officers of Indian Administrative Service, on the basis of basic pay obtained on the date of retirement and after deduction of the amount of revised pension (with commutation), remaining amount shall be admissible as pay. "

3. **Insertion of a proviso in sub rule-3 of rule-4 of the Bihar Technical Service Commission Rules, 2015** I- In the said Rules, the following proviso shall be inserted after proviso in sub rule-(3) of rule 4 :-

" Provided also that, in condition of pay revision, the pay- revision of retired officer appointed as Member in the Commission shall be executed like working officers of State, on the basis of basic pay obtained on the date of retirement and after deduction of the amount of revised pension (with commutation), remaining amount shall be admissible as pay."

By the order of the Governor,

3.12.18

(Himanshu Kumar Rai)
Joint Secretary to Government.

Memo no.-21/ B..T.S.S.C-01 /2018 Ka - 15673 Dated- 3.12.18.......

Copy forwarded to Finance Department, E-Gazette Section with C.D. in two copies with the request for publication to this in extra-ordinary issue of Bihar Gazette and to send its copies to this Department.

3.12.18
Joint Secretary to Government

Memo no B..T.S.S.C-01 /2018 Ka - 15673 Dated- 3.12.18....

Copy forwarded to A.G. Bihar, Patna/ Treasury Officer, Secretariat Treasury, Shichai Bhawan, Patna for Information and necessary action.

3.12.18
Joint Secretary to Government

P.T.O

Memo no B..T.S.S.C-01 /2018 Ka - ..15673......Dated- ...3.:12.:18...

Copy forwarded to Secretary Bihar Technical Service Commission, Patna for information and necessary action

3.12.18
Joint Secretary to Government

Memo no.-21/ B.T.S.S.C-01 /2018 Ka - ..15673...Dated- 3.:12.:18....

Copy forwarded to I.T. Manager, General Administration Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

3.12.18
Joint Secretary to Government